राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम— 2013 के अन्तर्गत महत्वपूर्ण जानकारी।

देय खाद्यान्न की मात्रा एवं मूल्य :-

- अन्त्योदय अन्य योजना ─ 20 कि0ग्रा० गेहूँ तथा 15 कि0ग्रा० चावल प्रतिमाह प्रति कार्ड।
- पात्र गृहस्थी योजना 03 कि०ग्रा० गेहूँ तथा 02 कि०ग्रा० चावल कुल 05 कि०ग्रा० प्रतिमाह खाद्यान्न प्रति युनिट।
- उपरोक्त दोनो योजनाओं पर गेहूँ रु0-02 प्रति कि0ग्रा0 तथा चावल रु0-03 कि0ग्रा0 की दर से देय।

खाद्यान्न प्राप्त न होने की स्थिति में :-

- कार्ड धारक विभागीय टोल फी नम्बर 1800−1800−150 अथवा
 1967 पर अपनी शिकायत दर्ज करायी जा सकती है।
- जनपद स्तर पर जिलाधिकारी, उपजिलाधिकारी एवं जिला पूर्ति अधिकारी के समक्ष शिकायत की जा सकती है।
- जनपद स्तर पर जिला शिकायत निवारण अधिकारी अर्थात नामित अपर जिला मजिस्ट्रेट के समक्ष हकदारी अथवा खाद्य सुरक्षा भत्ते प्राप्त किये जाने हेतु शिकायत की जा सकती है।







खाद्य तथा रसद विभाग उत्तर प्रदेश शासन

जनपद : লন্ডানক

राशन कार्ड क्रमांक : 215740651356

टाउन : LUCKNOW मुखिया का नाम : उर्गिला पिता / पति का नाम : झगडू

श्रेणी/जाति :

निवास का पता : BASRAHIYA

GOSAINGANJ, Lucknow - 226501

आधार /इनरोलमेंट न॰ : XXXX XXXX

गैस ग्राहक कनेक्शन सं०: गैस एजेंसी का नाम :

उचित दर दुकान : Sahayak Sahkari Samiti

यूनिटों का विवरण : 5 (Five)

दिनांक: 31-05-2024

Digitally Signed By

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम -२० के अन्तर्गत डिजिटली हस्ताक्षरित राशन कार्ड

IT Solution Provided By: National Informatics Centre(NIC), UP.

Print at :

परिवार की सदस्यों की सूची			
क्रम सं.	नाम	पिता/पति का नाम (हिंदी में)	मुखिया से सम्बन्ध
1	उर्मिला	रामसुमिरन सैनी	स्वयं
2	झगडू सैनी	शीतल	सौहर / पति
3	नितिन सैनी	झगरू सैनी	वेटा
4	सौम्य सैनी	जय सैनी	वेटी
5	श्वेता सैनी	जय सैनी	वेटी